संख्या-114/2020/114/22-2-2020-17(60)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च 2020***

विषय:- आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कलावती पत्नी स्व0 पूर्णदेव शर्मा, निवासी जनपद-एटा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1308/प्रोबे0-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 13.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कलावती पत्नी स्व0 पूर्णदेव शर्मा, जो ग्राम सोंगरा, थाना-पिलुआ, जनपद-एटा की रहने वाली है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 01.12.1995 को अवैध सम्बन्ध को लेकर अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर निम्मी जैदी की हत्या का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-592/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-07, एटा के आदेश दिनांक 29.04.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 18 वर्ष 00 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर- 3(13) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी से आच्छादित होने के कारण सिद्धदोष महिला बन्दी कलावती पत्नी स्व0 पूर्णदेव शर्मा की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी कलावती पत्नी (बन्दी संख्या-1062) स्व0 पूर्णदेव शर्मा, निवासी जनपद-एटा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-114/2020/114(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in